शहरी वित्त

त्रैमासिक समाचारपत्र, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

रा न का स

USAID | INDIA
FROM THE AMERICAN PEOPLE

INDO - USAID FIRE (D) PROJECT

खंड 9 सं० 2
अप्रैल - जून, 2006

कचरा निपटान व्यवस्था में सरकारी-गैरसरकारी भागीदारी : दिल्ली का उदाहरण

शहरी इलाकों में अनवरत कचरा निपटान व्यवस्था सुनिश्चित करना भारत में नगर शासन इकाइयों के लिए लगातार एक बड़ी चुनौती है। यह कमजोर अर्पित सेवा है, क्योंकि यह अवैज्ञानिक, पुरानी और अकुशल है। कूड़ा-कचरे का बहुत सारा अंश शहरी सड़कों पर बिना उठाए पड़ा रहता है, जिससे अस्थ्ययकर और आरोग्य घातक पर्यावरण उत्पन्न होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू एच ओ) के अनुसार, हर साल करीब 50 लाख लोग कचरे के अनुचित निपटान से उत्पन्न रोगों से मौत के मुंह में समा जाते हैं। शोध से पता चलता है कि अधिकांश नगर शासन इकाइयां, वित्तीय और संस्थायी असमर्थता के कारण कचरे के बढ़ते हुए अम्बार के निपटान की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है। लगभग 30-50 प्रतिशत म्यूनिसिपल स्टाफ कचरे के निपटान कार्यों में लगा हुआ है। अनुमान है कि एक टन कचरे के संग्रह, ढुलाई, शोधन व निपटान पर लगभग 500 से 1500 रूपये का खर्च आता है। इसमें से करीब 60-70 प्रतिशत राशि सड़कों-बीथियों की सफाई और कचरा संग्रह पर खर्च होती है, लगभग 20-30 प्रतिशत राशि उसकी ढुलाई पर तथा 5% से कम राशि उसके अंतिम निपटान पर खर्च होती है। फिर भी, देश के शहरी इलाकों में कचरा-निपटान की समस्या आज भी मौजूद है।

अतीत में अस्वास्थ्यकर दशाओं के कारण, दिल्ली को अनेक बार महामारी फैलने की समस्या से जूझना पड़ा है। इससे जाहिर है कि अचानक उत्पन्न इन बीमारियों की रोक-थाम के लिए अव्यवस्थित और अपर्याप्त आधार-सुविधा तंत्र है, क्योंकि इस समस्या की गम्भीरता पर ध्यान देने में अस्पताल बुरी तरह विफल रहे हैं। प्रकाशित सामग्री की समीक्षा तथा अनुभवजन्य स्थिति से पता चलता है कि शहरी स्लम बस्तियों में, विशेषतया भारत के मेट्रो शहरों में, कुलमिलाकर स्थिति और

भी अधिक दयनीय और भयावह है। सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित दिल्ली की मलिन (स्लम) बस्तियां हैं जो, पुनर्वास के बावजूद, उच्च शिशु मृत्युदर, रोगों, कुपोषण और गरीबी के दुष्चक्र में पिस रही हैं।

दिल्ली नगर निगम ने कचरा निपटान की समस्या से निजात पाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें धर-घर कूड़ा-संग्रह, सरकारी-गैरसरकारी भागीदारी आदि उपाय शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में दिल्ली के 6 ज़ोनों -अर्थात् सिटी ज़ोन, सदर पहाड़गंज ज़ोन, करोल बाग ज़ोन, साउथ ज़ोन, पश्चिम ज़ोन और सेंट्रल ज़ोन - में कचरा निपटान व्यवस्था का निजीकरण कर दिया है। सरकारी-गैरसरकारी भागीदारी तीन चरणों में की जा रही है :

चरण I	म्यूनिसिपल कचरे के संग्रह और ढुलाई में निजी सेक्टर की भागीदारी
चरण II	अनुकूलतम पद्धति से कचरा शोधन और निपटान पर तकनीकी मास्टरप्लान तथा तक्नो-आर्थिक साध्यता अध्ययन (फीज़ीबिलिटी स्टडी) हेतु विचारार्थ विषयों का प्रारूपण
चरण III	म्यूनिसिपल कचरे के शोधन और निपटान में प्रायवेट सेक्टर की भागीदारी

सरकारी-गैरसरकारी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना का लक्ष्य दिल्ली में एक समेकित, दक्ष और कारगर कचरा संग्रह, ढुलाई और निपटान व्यवस्था कायम करना है। यह परियोजना अपनी तरह का पहला प्रयास है जिसमें कचरा निपटान के मुद्दे पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जा रहा है तथा इससे एक समग्रपूर्ण पद्धत्ति एवं कार्यान्वयन माडल का उदाहरण कायम होगा।

उद्देश्य

1. दिल्ली की पूरी आबादी के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता सुनिश्चित करना
2. श्रम-साधन-सामग्री की उत्पादकता बढ़ाना
3. सेवाओं से अर्थोपार्जन को बढ़ावा देना
4. शहरी पर्यावरण की गुणवत्ता और अखंडता को प्रोत्साहन और संरक्षण देना

नगर निगम ने तीन प्रायवेट आपरेटरों (प्रचालकों) को कचरा संग्रह और ढुलाई कार्यो पर तैनात किया है, ये हैं -सिटी, साउथ व सेंट्रल ज़ोनो के लिए दिल्ली वेस्ट मैनेज़मेंट, पश्चिम ज़ोन के लिए मेट्रों वेस्ट हैंडलिंग (प्रा.) लिमिटेड तथा सदर, पहाड़गंज और करोलबाग ज़ोनों के लिए ए.जी.एनवायरनमेंट प्रोजेक्टस् लि.। अनुमान है कि शहर में उत्पादित कुल कचरे में से 50% कचरे का निपटान पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप से किया जाएगा।

अनुज्ञा करार (कंसेशन एग्रीमेंट) की कतिपय विशेषताएं हैं :

i) अनुज्ञापत्र : अनुज्ञापत्र अनुज्ञाधारक को (क) अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न म्यूनिसिपल कचरे के संग्रह, छंटाई तथा भू-भराव स्थल तक पहुँचाने के लिए ढुलाई, (ख) परियोजना सुविधाओं बावत खोज, अध्ययन, डिज़ाइन अभियंत्रण, अधि प्राप्ति, वित्त-पोषण, उपांतरण, निर्माण संचालन, अनुरक्षण तथा अंतरण और (ग) इस करार में यथा-विहित अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों अनुज्ञप्तियों तथा हकों के लिए प्राधिकृत करेगा।

ii) अनुज्ञापत्र अवधि : परियोजना हेतु अनुज्ञापत्र की मियाद अनुज्ञा करार पर हस्ताक्षर की तारीख से 9(नौ) वर्ष है। इस मियाद (या अवधि में) अनुज्ञा करार पर हस्ताक्षर की तारीख से बारह माह की कार्यान्वयन अवधि भी शामिल है। पूर्ण परिचालन का शुभारंभ कार्यान्वयन

अवधि के अंत में उस पूरे अवधि विस्तार के लिए होगा जो अनुज्ञा-करार में विनिर्दिष्ट की गई होगी।

iii) अदायगी क्रिया विधि : अनुज्ञाधारक को पूंजी लागत व परिचालन लागत (उस पर प्रतिलाभ सहित) की क्षति पूर्ति, परिचालन अवधि के दौरान, दिल्ली नगर निगम से की जाएगी, जो प्रतिटन कचरे के लिए बोलीदाता द्वारा कथित सांकेतिक (टिपिंग) फीस दर के अनुसार मासिक आधार पर की जाएगी।

iv) अनुज्ञापत्र धारक के दायित्व : निगम ने अनुज्ञापत्र करार के अभिन्न अंग स्वरूप परियोजना अपेक्षाएं निर्धारित और परिभाषित की हैं। अनुज्ञाधारक व्यक्ति को पूरी अनुज्ञा अवधि के दौरान सेवा प्रदान करते हुए परियोजना अपेक्षाओं का अनिवार्यतः पालन करना होगा। अनुज्ञाधारक को अपनी लागत और खर्च पर परियोजना सुविधाओं बाबत डिजाइन, अधिप्राप्ति, नवकरण, प्रचालन, अनुरक्षण व अन्तरण कार्य करने होंगे तथा समयबद्ध तरीके से परियोजना चलाने और करारगत सभी जिम्मेदारीयां निभाने के लिए यथा-आवश्यक सभी इंतजाम करने होंगे। कार्य परिमाण के अनुसार अपेक्षित सभी यंत्रों, उपकरणों, मशीनों और वाहनों की नियत विशिष्टियों एवं मानकों के अनुसार खरीद की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की होगी।

v) प्रचालन व अनुरक्षण : अनुज्ञा करार में प्रचालन व अनुरक्षण की अपेक्षाओं और मानकों का निर्धारण किया जाता है। विशिष्टियों व मानकों के अनुसार परियोजना सुविधाओं की उपलब्धता तथा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार उनका प्रचालन व अनुरक्षण मुख्य निष्पादन मानदंड होगा तथा उसकी पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञा धारक की होगी।

vi) निष्पादन मूल्यांकन और मानीटरिंग : परियोजना की मानीटरिंग, दिल्ली नगर निगम व अनुज्ञाधारक की परस्पर सहमति से नियुक्त किसी स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा की जाएगी। स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति दिल्ली नगर निगम और अनुज्ञाधारक की परस्पर सहमति से की जाएगी। स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारण के अंतिम चरण में है (दिल्ली नगर निगम, 2006)

डा. सतपाल सिंह
शोध विश्लेषक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली
ई मेल : ssingh@niua.org;
satpal_sociologist@yahoo.co.in

भारत में शहरी स्थानीय शासन की श्रेष्ठ पद्धत्तियां केस-अध्ययन : जलपूर्ति

नवसारी नगरपालिका (गुजरात) द्वारा (नगर तालाव (सिटी लेक) जीर्णोद्धार

1

श्रेणी : जल स्रोत व्यवस्था

प्रलेखपत्र में योगदानकर्त्ता : सिटी मैनेजर्स एसोशिएशन गुजरात (गुजरात नगर प्रबंधक परिसंघ) सुश्री माला पुनवनी, परामर्श सौजन्य - श्री सुरेश जे. सेठ, चीफ आफीसर, नवसारी नगरपालिका, श्री राजू गुप्ता, कार्यपालक इंजीनियर, नवसारी नगर पालिका

सार संक्षेप

समुद्र से निकटता तथा भूगर्भीय जल के अनियंत्रित कर्षण के कारण, इस शहर (नवसारी) को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। नवसारी नगरपालिका (गुजरात) ने शहर के मध्य में स्थित एक तालाव (सरोवर) का जीर्णोद्धार शुरू किया था। यह तालाव नजदीकी नहर से शहर में लाए गए पानी के मूल भंडारण जलाशय का काम करता था। इस परियोजना के लिए जीवन बीमा निगम और गुजरात सरकार ने धन दिया और उसका क्रियान्वयन नवसारी नगर पालिका द्वारा किया गया। अब यह नगर पालिका शहर को स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति करने में सक्षम है।

सुधार-प्रयास से पूर्व की स्थिति

- नवसारी शहर पेय जल के लिए मुख्यतया नल कूपों पर निर्भर था।
  शहर को पानी की पूर्ति शहर के अन्दर विभिन्न भागों में
- 200 फुट गहरे 28 नल कूपों (कुओं) से होती थी।
- अरब सागर के नजदीक होने के कारण, शहर के सामने खारेपन के अंतःक्रमण की एक भीषण समस्या थी। यहाँ पानी में खारापन काफी अधिक यानी 2600 से 4000 टीडीएस (पूर्ण विलीन तत्व) थी।
- इस खारे पानी के कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था तथा नगर पालिका के सामने भी उन बोर-नलकूपों को चलाने और रखरखाव की समस्याएं थी।
- नगर पालिका को उन नलकूपों, पम्प मशीनरी और तीन पानी टंकियों के प्रचालन पर हर साल करीब 1.25 करोड़ रू. की भारी राशि बिजली बिल पर खर्च करनी पड़ती थी।
  लगभग 350 स्लमवासी दूधिया तालाव के आसपास आबाद थे।
- तालाव के आस-पास मलिन बस्तियां (स्लम) होने से पानी प्रदूषित हो जाता था।
- तालाव के किनारे खड़ी इमारतों की नालियों से भी तालाव में गंदा पानी छोड़ा जाता था।

सुधार प्रयासों का विवरण

दूधिया तालाव के आस-पास लगभग 350 स्लमवासी आबाद थे। तालाव के आस-पास की मलिन बस्तियों की मौजूदगी पानी प्रदूषण का मुख्य कारण थी। तालाब के किनारे खड़ी इमारतों की नालियों से भी तालाब में गंदा पानी आता था। प्रोजेक्ट की सफलता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, तालाब के आस-पास बसे स्लमवासियों के कारगर विस्थापन और पुनर्वास की जरूरत महसूस हुई। शहर के मध्य भाग में स्थित दूधिया तालाब को काकरापार नहर से प्राप्त कच्चे पानी के जलाशय के रूप में विकसित किया गया। नगरपालिका ने इस तालाब को कच्चे पानी के जलाशय में पुनः विकसित करने तथा वहाँ एक शोधन (छनाई) संयंत्र के निर्माण के लिए अनेक कार्य किए।

परियोजना की सफलता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तालाब के आस-पास की झुगियों का विस्थापन व पुनर्वास आवश्यक हो गया, यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया।

अपनाई गई कार्यनीतियां

अपनाई कार्यनीतियां थीं :

- तालाव का पुनः विकास, सफाई तथा जाल बिछाना और किनाराबंदी
- तालाव के आस-पास आबाद झुग्गीवासियों का अन्यत्र पुनर्वास,
- शोधन (छनाई) संयंत्र का निर्माण
- तालाव के आस-पास के क्षेत्र का विकास तथा उसे हरा-भरा बनाना
- नागरिकों की भागीदारी

क्रियाविधि

- नगरपालिका ने स्थिति की समीक्षा करके निष्कर्ष निकाला कि शहर के 3 कि.मी. दूर बहती काकरापार नहर से पानी प्राप्त करना संभव है तथा वर्त्तमान दूधिया तालाव में सफाई के बाद बजरी बिछाकर पानी का भंडारन किया जा सकता है,
- नवसारी नगरपालिका ने आवश्यक अनुमति पाने के लिए सिचाई विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसका राष्ट्रीय जल संसाधन और आपूर्ति बोर्ड ने अनुमोदन कर दिया है,
- नगरपालिका ने जल आपूर्ति योजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके मुख्य घटक इस प्रकार थे :

- काकरापार नहर शाखा से दूधिया तालाव के बीच (3250 मीटर लम्बाई में बजरीदार गूल (नाले) का निर्माण
- दूधिया तालाव का कच्चे पानी के जलाशय (क्षमता 8.40 लाख क्यूबिक मीटर) के रूप में विकास,
- फिल्टर (शोधन-छनाई) संयंत्र एवं अन्य सुविधाओं का
- निर्माण,
  जल ग्रहणकूप (6.00 मीटर व्यास और 10 मीटर गहराई)
- का निर्माण,
  कच्चे पानी के उठान की प्रणाल (450 मि ली मीटर
- व्यास, सी.आई."एल ए" कोटि)
  कच्चे पानी की पम्पिंग मशीन (75 हार्स पावर, टरबाइन
- पम्प सेट-4)
- छानन / छनाई संयंत्र (क्षमता-35 मि.ली. दैनिक)
- भूमिगत भंडारण हौदी (क्षमता-32.50 लाख लीटर)
  शुद्ध जल पम्पिंग मशीनरी (40 हार्स पावर, टरबाइन पम्प
- सेट - 2)
  दूधिया तालाव प्रणाल वाटर वर्क्स से लुन्सीकुई वाटर वर्क्स तक पानी पहुँचाने के लिए भूमोपरि बड़ी पाइप
- लाइन (लम्बाई 1250 मीटर)
- ऊँची जल टंकी (क्षमता 18,00,000 लीटर)
  परियोजना तीन एजेंसियों द्वारा आद्योपांत आधार (टर्न की बेसिस) पर निविदाएं आमंत्रित करने, कार्यान्वित की गई। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 708.90 लाख रू.

विवरण	रूपये
जीवन बीमा निगम से ऋण	2,80,60,000/-
गुजरात जल आपूर्ति और अपजल निकासी बोर्ड, गांधीनगर से अनुदान	1,53,50,000/-
जीएमएफ बोर्ड, अहमदाबाद कृत, आवर्ती कोष से	1,75,00,000/-
जोड़	6,09,10,000/-

- उपर्युक्त आबंटित धन से सभी प्रकार के परियोजना निर्माण कार्य (भूमिगत हौदी, शुद्ध पानी ऊपर उठाने की प्रणाल तथा आर सी सी वाटर टैंक के निर्माण के अतिरिक्त) पूरे कर लिए गए हैं।
- तालाव की सफाई का काम पूरा हो गया है। तालाब की तली से कीचड़-गाद हटाने तथा तालाव की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ड्रैज़िग की जा चुकी है। तालाब की भंडारण क्षमता सन् 2020 तक की आबादी की जल-जरूरतों को पूरा करने के निमित्त डिज़ाइन की गई है। तालाव के किनारे ईटें बिछा कर पक्के तटबंध बनाए गए हैं।
- तालाव के आस-पास के झुग्गी-झोंपड़ी वासियों का अन्यत्र पुनर्वास कर दिया गया है।
- नवसारी नगर पालिका को गुजरात स्लम विस्थापन बोर्ड से 3.00 करोड़ रू. का धन मंजूर हुआ है।
- 350 स्लमवासियों को दूधिया तालाब के पास से हटाकर, नगर सीमा पर स्थित तिधरा में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित था।
- विस्थापित स्लमवासियों को 5 स्थलों पर और 5 सेवा स्कीमों के अनुसार प्लाट दिए गए हैं। उन्हें वे प्लाट मालिकाना आधार पर दिए गए हैं तथा विस्थापन खर्च के रूप में प्रतिव्यक्ति 2000/- रू. दिए गए हैं।
- नया पुर्नवास केन्द्र बस सेवा द्वारा मुख्य शहर से जुड़ा है, यों ये सेवा अत्यंत दक्ष नहीं है। पुनर्वास बस्ती में बिजली-पानी व सड़क की सुविधा है।

शोधन (छनाई) संयंत्र

- यह जल-छानन / छनाई संयंत्र नवसारी नगरपालिका वाटर वर्क्स के अन्दर स्थापित किया गया है। यह नवीनतम तकनोलाजी पर आधारित है, जिसमें स्लज़ ब्लैंकिट लामेला क्लेरीफाइर्स (गाद छंटाई लामेला निर्मलीकरण संयत्र) तथा हाई रेट रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर्स शामिल हैं। छानन संयंत्र का निर्माण निविदा प्रक्रिया के बाद एक कंसल्टेंसी को सौंपा गया है।
- यह संयंत्र 36 मि.लीटर दैनिक क्षमता का है तथा सन् 2020 तक की आबादी के लिए जल आपूर्ति के लिए है। पुराने जलशोधन संयंत्र की तुलना में बिजली और रसायनों की काफी कम खपत है।

तालाव के आस-पास के क्षेत्र का विकास, हरियाली व्यवस्था तथा नागरिकों की भागीदारी

तालाव के आस-पास के क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए नागरिक समाज से आगे आकर योगदान की अपेक्षा की गई थी। वृक्षारोपण का कार्य गुजरात वानिकी विभाग,

स्कूली बच्चों और नर्सरी सेवा समिति द्वारा किया गया। (नवसारी का एनएसएस डिवीज़न पार्कों और वृक्षों की नियमित रखवाली करता है।

प्राप्त परिणाम

इस परियोजना के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद अब लगभग 70% आबादी को शुद्ध पेय जल मिल रहा है।

- इस परियोजना के फलस्वरूप पिछले 40 सालो से चली आ रही पेयजली कमी की समस्या दूर हो गई है तथा अब नवसारी के नागरिकों को शुद्ध पेय जल मिल रहा है।
- भूगर्भीय जल पर निर्भरता कम हो गई है और फलतः जमीन के ऊपर भी खारेपन पर अंकुश लग गया है।
- स्लम वासियों का उस जमीन पर सफल पुनर्वास कर दिया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षित थी ।
- इस परियोजना से नगरपालिका को अपना वित्तीय भार घटाने में भी मदद मिली है क्योंकि अब उसे 25 से 75 हार्सपावर की बिजली क्षमता के 10 नलकूपों की बजाए 75 हार्स पावर का केवल एक टरबाइन को चलाना होता है जिससे उनकी बिजली खमत काफी कम हो गई है । एक अनुमान के अनुसार अब नगरपालिका को पूंजी खर्च में लगभग 40 लाख रू0 की बचत होगी।
- अनेक नागरिकों ने अपने निजी नलकूप बन्द कर दिये हैं और उन्होंने सबसारी नगरपालिका से पानी कनेक्शनों के लिये आवेदन किया है । इससे नगरपालिका के राजस्व में जल कर से और इजाफा हुआ है ।
- नगरपालिका अपने वाटर टैक्स (जलकर) में भी वृद्धि कर सकती है, इससे उसे हर साल 45 लाख रू0 की अतिरिक्त आय होगी ।

प्राप्त सबक

- शहरी स्थानीय निकाय अभिनव वैज्ञानिक तरीकों से पेयजल की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं ।
- नए स्थान पर सार्वजनिक हित के लिये योजनाबद्ध जन उपयोगिता (यानी पर्यावरण) के आलोक में स्लमवासियों को पुनर्वास के लिये राजी करना संभव है ।
- तालाव सफाई की परियोजना एक बार शुरू हो जाए, तो फिर देखना कि तालावों में अपजल/कीचड़/कूड़ा-कचरा नहीं छोड़ा/डाला जाएगा, क्योंकि यही सब गन्दी चीजें तालाव में जैव-प्रदूषण बढ़ाने के लिये जिम्मेदार होती हैं ।
- अगर किसी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने नागरिकों की संतुष्टि के लिये कोई सेवा सुनिश्चित की जाती है, तो बिना किसी विरोध के करों में आसानी से वद्धि करना संभव होगा ।

स्थायित्व

दूधिया तालाव को कच्चे पानी के जलाशय के रूप में इस्तेमाल किये जाने से पूर्व, उसके पास की झुग्गियों को हटाना, आस-पास के क्षेत्र का विकास करना, तालाब की सफाई करना तथा प्रदूषण निवारक अन्य उपाय करना एक पर्यावरण मूलक स्थायी प्रक्रिया है ।

वह वित्तीय रूप से भी अधिक उपादेय परियोजना है, क्योंकि उसमें वित्तपोषण के लिये विविध संसाधनों का उपयोग किया गया है और उसमें वाटर टैक्स बढ़ाकर पूरी लागत भी वसूली की गई है ।

अन्यत्र प्रयोग

नगरपालिका ने इस प्रक्रिया का प्रयोग करके लुंसी कुई के निकट शरबती तालाव के आस-पास के क्षेत्र के विकास का कार्य भी आरंभ कर दिया है । इस प्रकार यह विकास प्रक्रिया अन्यत्र अनुवर्त्तन योग्य यानी दोहराये जाने योग्य है

9 आपात मूल्यांकन और वास्तविक बरताव : केरल राज्य, भारत में नई जल प्रणालियों के अन्तर्गत कनेक्शनों का विधेयन

चार्ल्स सी. ग्रिफिन, जान ब्रिस्कोई, भंवर सिंह, राधिका रामा सुब्बन व रमेश भाटिया । इस प्रोजेक्ट में कार्यरत चार्ल्स ग्रिफिन और जॉन बिसकोई विश्व बैंक में ईस्टर्न अफ्रीकी विभाग, पापुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज़ डिवीज़न तथा परिवहन, जल व शहरी विकास विभाग के साथ तथा भंवर सिंह एवं राधिका रामसुब्बन सेंटर फॉर सोशल एंड टेक्नालॉजीकल चेंज, बम्बई, भारत के साथ और रमेश भाटिया इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली यूनीवर्सिटी, इंडिया तथा द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनजमेंट ऑफ इर्रीगेशन (डी एम आई) कोलम्बो, श्रीलंका से जुड़े हैं । इस परियोजना के लिये वित्तीय सहायता डेनिश इंटरनेशनल एजेंसी, यू.एन. डेवलेपमेंट प्रोग्राम, द स्विस डेवलपमेंट कार्पोरेशन, द नार्वेजियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट तथा विश्व बैंक द्वारा दी गई । इस अध्ययन को केरल वाटर अथारिटी, डेविड गुलके ऑफ द यूनीवर्सिटी ऑफ नार्थ कैरोलिना के इकनॉमेट्रक विश्लेषण की मदद का भी लाभ मिला। आंकड़े जान ब्रिस्कोई के पास उपलब्ध हैं । लेखकगण पाँडुलिपि में संशोधन हेतु उपयोगी सलाह के लिये डेन व्हिटिंगटन को तथा अपनी बेबाक श्रेष्ठ टिप्पणियों के लिये तीन समीक्षकों को धन्यवाद देते हैं ।

सन् 1988 में केरल राज्य (भारत) के परिवारों का यह जानने के लिये सर्वे किया गया कि क्या वे पाइपों द्वारा पानी सप्लाई सिस्टम से घरेलू कनेक्शन के लिये खर्च देने को तैयार हैं?

सन् 1991 में पुन; इन्हीं समुदायों के परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उनके वास्तविक निर्णयों को रिकार्ड किया गया । इस लेख में वास्तविक व्यवहार (निर्णयों) के आधार पर 1988 के अध्ययन के निष्कर्षों की वैधता पर प्रकाश डाला गया है । यह लेख लाभ उद्घाटन के प्रश्न पर प्रकाश डालता है कि क्या जनता अपने कथित वायदे के अनुसार व्यवहार करती है और यदि हाँ तो क्या वह ऐसा करते समय नफा-नुकसान पर विचार नहीं करती ।

स्थानांतरण व्यवहार : क्या किसी स्थल विशेष हेतु व्यवहार मॉडल की भविष्यवाणी के आधार पर जनता यथा-स्थल भविष्यवाणी व्यवहार करती पायी गई? इस बाबत प्राप्त आंकड़ों का व्यवहारगत मॉडलों से संगत नीति के विश्लेषण में भी इस्तेमाल किया गया ।

जल प्रदाय और मल निस्तारण दिशानिर्देशों की श्रेष्ठ पद्धति व्यवस्था (बेस्ट प्रैक्टस मैनजमेंट) 3

न्यू साउथ वेल्स सरकार (यूरोप) सभी न्यू साउथ वेल्स लोकल वाटर यूटिलिटीज (एल डब्लू यू) द्वारा श्रेष्ठ पद्धति को बढ़ावा देती है । बेस्ट प्रैक्टिस मैनजमेंट (श्रेष्ठ पद्धति व्यवस्था) का प्रयोजन है :

- जल प्रदाय और मल व्ययन (सीवरेज) सेवाओं की कारगर और कुशल प्रदायगी को बढ़ावा देना; तथा
- पूरे न्यू साउथ वेल्स में सतत जल संरक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहन देना ।

न्यू साउथ वेल्स सरकार से राष्ट्रीय स्पर्द्धानीति (नेशनल कम्पीटीशन पालिसी) अनुपालन के प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है । वर्ष 1995 से अपनायी गई नीति कारगर, कुशल और सतत जल आपूर्ति और अपजल निकासी क्रियाकलाप सुनिश्चित करने के लिये लोकल बाटर यूटिलिटीज़ द्वारा श्रेष्ठ पद्धति प्रबंधन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने की है ।

अतः प्रदर्शित श्रेष्ठ पद्धति प्रबंधन उस लाभांश के भुगतान के लिये एक पूर्वशर्त है, जो स्थानीय शासन के एल डब्लू के बाटर सप्लाई और सीवरेज कार्य से उत्पन्न सरप्लस (अधिशेष आय) से प्राप्त होता है, और जो सेंट्रल वाटर सप्लाई एंड सीवरेज प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिये होता है ।

लाभांश भुगतान के लिये 6 मानदंड हैं, जिनमें से प्रत्येक को पूरा किया जाना आवश्यक है । ये हैं :

1. नीतिपरक कार्य योजना
2. मूल्य निर्धारण और डेवलपर प्रभार (लिक्विड ट्रेड आधारित एप्रूवल सहित)
3. मांग प्रबंधन
4. सूखा प्रबंधन
5. परिणाम रिपोर्टिंग
6. इंटीग्रेटेड वाटर साइकिल मैनेजमेंट

अधिशेष आय में से लाभांश भुगतान की पात्रता के लिये लोकल वेस्ट यूटिलिटी को चाहिये कि :

- किसी स्वतंत्र अनुपालन आडिट रिपोर्ट की मार्फत अपर्युक्त 6 श्रेष्ठ पद्धत्ति प्रबंधन मानदंडों का अनुपालन दरसाये, तथा
- अपने जल प्रदाय और/या अपजल निकासी कार्य के लिये पूर्ण वित्तीय आडिट रिपोर्ट प्राप्त करे,
- सार्वजनिक काउंसिल बैठक में संकल्प प्रकट करे कि उसने विहित दिशा निर्देशों (पृष्ठ 17, 26) का पर्याप्त अनुपालन किया है । प्रत्येक मानदंड के अपेक्षित परिणाम पृष्ठ 18 की तालिका 1 में दरसाया जाएं ।

जो लोकल वाटर यूटिलिटी इन दिशानिर्देशों में अपेक्षित श्रेष्ठ पद्धत्ति प्रबंधन परिणामों की प्राप्ति प्रदर्शित कर देंगे, उन्हें प्रचुर प्रभावी और सतत आधार पर वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम मिलेगा ।

लोकल गवर्नमेंट एक्ट (1993) के सेक्शन 409 (5) के अनुसरण में, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में, 2003-04 से शुरू करके लाभांश दिया जाएगा ।

जल स्रोतों और सफाई के प्रसंग में लिंग (स्त्री/पुरूष) सापेक्ष परिदृश्य 4
(ए जेन्डर परस्पेक्टिव ओन वाटर रिसोर्सेज एंड सेनिटेशन)

मार्सिया एम ब्रेवस्टर, थोरा मार्टिना हेरमन, बारबैरा ब्लीश्च व रेबेका पर्ल

सारांश

स्त्री जाति का जल की आपूर्ति और सफाई सुविधाओं सहित जल स्रोतों के उपयोग, प्राप्ति और नियंत्रण से निकट संबंध होता है। इन सुविधाओं के होने का सबसे अधिक असर उन्हीं पर पड़ता है । इस लेख में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व यूरोप व एशिया की परिस्थितियों के अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर जल स्रोतों और सफाई सुविधाओं की व्यवस्था प्रबंध और संरक्षण में स्त्रियों की क्रेन्द्रीय भूमिका का विश्लेषण किया गया है । जल प्रबंधन और सफाई के प्रति लिंग (स्त्री-पुरूष) सापेक्ष पद्धत्ति के कार्यान्वय हेतु सरोकार के मुद्दों की जांच-पड़ताल की गई है तथा जल स्रोतों और सफाई व्यवस्था के क्षेत्र में स्त्री-पुरूष सापेक्षताओं की मुख्य धारा बाबत कार्यनीतियों की सिफारिश की गई है ।

संकेत शब्द (की-वर्ड)

वीमेन राइटस (नारी अधिकार) जेन्डर मेनस्ट्रीमिंग (स्त्री-पुरूष मुख्यधारा), सस्टेनेबल डेवेलपमेंट (सतत विकास), सेनिटेशन (सफाई) वाटर रिसोर्सेज (जल स्रोत), मैनजमेंट (प्रबंधन)।

निर्णायक टिप्पणी

जल स्रोत व्यवस्था व सफाई के क्षेत्र में स्त्री - पुरूष सापेक्षता की मुख्यधारा बाबत कार्यनीतियों की सिफारिशें :

जैसा कि इस लेख में दिये गये विश्लेषणों और उदाहरणों से जाहिर है सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों, संस्थाओं और नागरिक समाज को चाहिये कि वे अपनी विकासोन्मुखी कार्यनीतियों और जल और विशेषतया सफाई कार्यक्रमों को खुलेमन से अपनाएँ तथा यह सुनिश्चित करें कि इस नीति की मुख्य धारा स्त्री-पुरूष सापेक्षता वाली होगी। कुछ प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है :

ए. राष्ट्रीय शासन
1. सुरक्षित पेय जल और पर्याप्त सफाई की प्राप्ति बढ़ाने के लिये कानून बनाए तथा संसाधन जुटाए।
2. उत्पादक कार्यों के लिये जमीन और पानी की प्राप्ति की सुविधा दे।
3. सफाई की प्राप्ति को प्रोत्साहन दे।
4. क्षमता का विकास करे और भागीदारी को प्रोत्साहन दे।

बी. क्षेत्रीय/स्थानीय शासन

सी. जन समुदाय और समाज

डी. धनदाता व अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

5 जल विकास और गरीबी निवारण

जल प्रबंधन में हाल ही हुई बढ़ोतरी के बावजूद, विश्वभर में करीब 1.4 बिलियन लोगों के लिये पर्याप्त पानी सुलभ नहीं है और करीब 3.0 बिलियन लोगों को सफाई सुविधाएँ सुलभ नहीं हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि इन समस्याओं के साथ-साथ कुछ अन्य जल समस्याएँ भी हैं, जो खासकर गरीबों को उनकी आजीविका, सेहत और जलजन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रसंग में बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इस ग्रंथ के लेखकों को जल विकास परियोजनाओं - विकासशील विश्व के विभिन्न क्षेत्रो में गरीबी में कमी करने के प्रत्यक्ष एकीकृत सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के लिये प्रबंध करने का व्यापक अनुभव है। इस पुस्तक के चारों खंडों में जल और गरीबी के बीच संबंध में योगदान करनेवाले अनेक मुद्दों के बारे बहुआयामी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। खंड 1 में, जल स्रोतों के विकास द्वारा गरीबी घटाने से जुड़े प्रत्ययमूलक और पद्धत्ति मूलक मुद्दों पर निबंध हैं। उसमें जल बिजली इंडेक्स के सृजन हेतु कतिपय पद्धत्तियों सहित, गरीबी घटाने के संख्यात्मक उपायों का विश्लेषण भी दिया गया है। खंड II में जल व्यवस्था और गरीबी निवारण व्यवस्था हेतु संस्थायी ढांचों पर विचार किया गया है। इसके अन्तर्गत समुदाय आधारित निर्णय लेने से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व के विषय शामिल हैं। खंड III में भागीदारी - सिचांई व्यवस्था तथा शहरी जलपूर्ति और अपजल निकासी के निजीकरण तथा इन दोनों का गरीबी से संबंध, जैसे मुद्दों का समावेश है। खंड IV में भारत, तुर्की और जोर्डन के केस अध्ययन दिये गये हैं । इन अध्ययनों द्वारा गरीबी घटाने के लिये मूल्य निर्धारण सहित विभिन्न जल व्यवस्था एवं विकास पद्धत्तियों, प्रभावी सिंचाई पद्धत्तियों, सतत विकास के वाहक रूप में जल के उपयोग, जल-उपलब्धता व खाद्य सुरक्षा में जोखिमों और अनिश्चिताओं के निवारण हेतु छोटे और बड़े पैमाने की कार्यनीतियों, बढ़ी हुई जलआपूर्ति के आर्थिक महत्व तथा लघु स्तरीय विकास परियोजताओं के सकरात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है ।

स्रोत : आई एच ओल्के ऊंवेर, राजीव के. गुप्ता के सौजन्य से ।

गतिविधियाँ

- रा.न.का.संस्थान परिसर में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान पर म्यूनिसिपल कार्मिकों के लिये 3-5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम 9-12 मई, 2006 के दौरान आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में, भारत सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्त्ता 10 राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प शहरों के प्रतिभागियों को आंमत्रित किया गया। यह परस्पर विचारों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम था जिसके अन्तर्गत प्रतिभागी भी विभिन्न सत्र चर्चाओं में समान रूप से भागीदार थे ।
- रा. न. का. संस्थान में 2 जून, 2006 को, एक दिवसीय प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम (टी ओ टी मीट) का आयोजन किया गया।
- प्रशिक्षकों के लिये प्रशिक्षण पर पुनः डेढ़ दिवसीय बैठक का 22-23 जून, 2006 को रा.न.का.संस्थान में ही आयोजन किया गया।

संस्था-वार आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्यौर ग्रामीण व औद्योगिकी विकास में शोध का केन्द्र (सी आर आर आई डी, चंडीगढ़

- छोटे व मंझोले कस्बों की आधार ढांचा विकास स्कीम पर सेमिनार
- शहरी स्थानीय निकायों के राजकोषीय दायरे के विस्तार हेतु म्यूनिसिपल सेवाओं का निजीकरण

नरोन्हा प्रशासन अकादमी (म.प्र. अकादमी), भोपाल

- म्यूनिसपल पदाधिकारियों के लिये राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

असम प्रशासनिक स्टाफ कालेज, गुवाहाटी

- म्यूनिसपल लेखकरण प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

संक्षिप्त समाचार

कर्नाटक राज्य की महादेवपुरा नगर परिषद प्रथम नगरपालिका है, जिसने राज्य की इंटीग्रेटेड सालिडवेस्ट नीति के अनुसार कचरा निपटान का अभियान शुरू किया है।

नगरपालिका ने आटोटिपर (स्वतः उलटाऊ) तथा पुशकार्ट (ठेलागाडी) की मार्फत घर-घर कचरा संग्रह शुरू किया है। सड़कों पर झाड़ू सफाई तथा सड़क किनारे के नालों की सफाई बाहरी (प्रायवेट) लोगों से कराई जा रही है। बटोरे गये कूड़े को डम्पर प्लेसर कंटेनर में जमा किया जाता है जिसकी आगे यंत्रीकृत भूभराव (डलाव) स्थलतक ढुलाई डम्पर प्लेसर द्वारा की जाती है । दैनिक निगरानी के लिये एक सख्त मानटरिंग टीम है। गलती करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है, यही कारण है कि शहर यत्र-तत्र कूड़ा बिखराव की घटनाओं से मुक्त है ।

स्रोत : श्रीमती सपना एन, पर्यावरण इंजीनियर, रिसर्च एशोशिएट (एस डब्लू एम), सिटी मैनेजर (ए क्वाटरली न्यूजलेटर फ्रॉम द सिटी मैनेजर्स एसोशिएशन, कर्नाटक, संस्करण 10, अंक 1 जनवरी-मार्च, 2006।

- हरियाणा की पहली कचरा निपटान प्रबंध परियोजना अम्बाला शहर से अम्बाला-नारायणगढ़ सड़क पर करीब 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित पटवी गांव से शुरू करने का कार्यक्रम है । माननीय केन्द्रीय शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन राज्यमंत्री (स्व./प्र.) कु. सेलजा ने 12.50 करोड़ की इस परियोजना की आधारशिला रखी है । इस परियोजना का अनुरक्षण पांच वर्ष तक नेशनल बिल्डिंग केस्ट्रक्शन कार्पोरेशन करेगा ।

  हडको ने हरियाणा के 10 शहरों में 39.23 करोड़ रू0 की निवेश राशि से कचरा निपटान परियोजनाएँ स्वीकृत की हैं जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर प्लानिंग बोर्ड) ने अन्य 16 कस्बों में 56.56 करोड़ रू0 की निवेश राशि की कचरा निपटान व सड़क मरम्मत परियोजनाएँ मंजूर की हैं।

स्रोत :
प्रोजेक्ट मानीटर, वाल्यूम-5, अंक 51,17 अप्रैल 2006

- यू एन हैबीटाट द्वारा 19 जून, 2006 को वैंकूवर, कनाडा में हुई बर्ल्ड अर्बन फोरम III मीटिंग में जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड सिटीज, 2006-07 रिपोर्ट में भावी "मेटा सिटीज" के रूप में भारत के दो शहरों - मुम्बई और दिल्ली का विशेष अल्लेख किया है । मेटा सिटी या हायपर सिटी (विशालकाय शहर) से आशय 20 मिलियन (या 2 करोड़) से अधिक आबादी के असीम फैलाव के विराट नगर से है ! टोक्यो 1960 के दशक के मध्य में पहला अतिकाय नगर या विराट नगर हो गया था, जब उसकी आबादी 20 मिलियन (2 करोड़) की संख्या पार कर गई थी । आज वह विश्व का विशालतम फैलाव वाला विराटनगर है। टोक्योवासियों की आबादी 35 मिलियन (या 3.5 करोड़) है, जो कनाडा की कुल आबादी से कहीं अधिक है। वर्ष 2020 तक मुम्बई, दिल्ली, मेक्सिको सिटी, साओपाउलो, न्यूयार्क, ढाका, जकार्त्ता और लाओस के भी मेटासिटी (विराट नगर) का दरजा हासिल कर लिये जाने की संभावना है।

स्रोत : नगरपालिका अपडेट, समाज विज्ञान संस्थान, वाल्यूम 4, मई-जून, 2006, अंक 3

विगत शताब्दी से, विश्वभर में आबादी के छितरे हुए ग्रामीण समुदायों के रूप में आबाद होने की बजाए पहले से घने आबाद शहरी केन्द्रों में बसने का ऐतिहासिक रूझान देखने में आया है । ऐसी संभावना है कि सन् 2008 तक धरती पर आबाद लोगों में से आधे से अधिक लोग शहरों में रहते पाए जाएंगे। इस जनांकिकी रूझान में परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ एक नई रिपोर्ट का केन्द्रबिन्दु हैं।

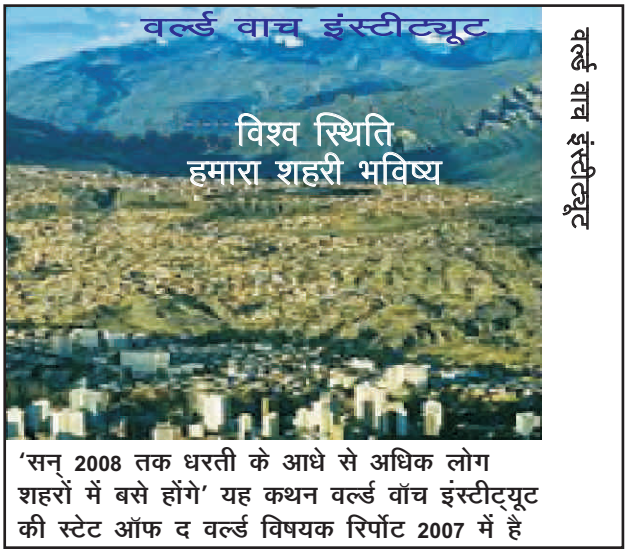

'सन् 2008 तक धरती के आधे से अधिक लोग शहरों में बसे होंगे' यह कथन वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विषयक रिपोर्ट 2007 में है

हर साल 60 मि. (6 करोड़) से अधिक लोग बड़े शहरों में अधिकतर धरती पर आबाद कुछ गरीबतम देशों की दरिद्रता पहचान वाली शहरी बस्तियों में बसते देखे जाते हैं, ऐसे अनियोजित और अव्यवस्थित विकास वाले देश, विशेषतया सब-सहारा अफ्रीका रीजन और दक्षिण एशिया में हैं, जहाँ चुभनभरी शहरी गरीबी और घुटनभरी मलिन बस्तियाँ हैं ।

स्रोत : अर्बन फ्यूचर फोकस ऑफ 2007, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, बाई रोसन्ने स्कर्बल, वाशिगटन, डी.सी.

विश्व शहरी मंच पर स्थायी शहर

द बाई-एनुअल वर्ल्ड अर्बन फोरम (डब्लू यू एफ) एक विश्व नगर गोष्ठी पर बड़ी यू.एन गतिविधि है । सदाबहार शहरों के सृजन में मानवता के सामने व्याप्त चुनौतियों तथा शहरीकरण के घटनाक्रम की तरफ ध्यान आकर्षित करने का यह गोष्ठी आयोजन एक स्वर्णिम अवसर है, सदाबहार शहरों में ही नगरवासी सुरक्षित समृद्ध जीवन का लुत्फ उठा सकते हैं ।

द थर्ड वर्ल्ड अर्बन फोरम (डब्लू यू एफ III) यह गोष्ठी 19-23 जून, 2006 के दौरान वैंकवूर, कनाडा में हुई थी (इसके विवरण हेतु देखें - http://www.wuf3-fum3.ca/) । इसमें ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत, मैक्सिको के प्रतिनिधियों सहित 21 लीड फैलो एंड स्टाफ ने अन्य लीड प्रोग्राम मेम्बरों के साथ भाग लिया था। इस गोष्ठी की सफलता हेतु आंशिक राशि कनाडा सरकार द्वारा 28 मार्च 2006, सोमवार, को ही जारी कर दी गई थी।

वर्ल्ड अर्बन फोरम (विश्व शहरी गोष्ठी) में भागीदारी

वर्ल्ड जी बी सी ने जून 2006 में वैंकूवर में प्रस्तावित यू एन डब्लू यू एफ हेतु बड़े वार्ता सत्र का आयोजन किया।

मेक्सिको सिटी द्वारा अर्बन फ्यूचर (शहरी भविष्य की संभावना पर विचार अर्बन एज मेक्सिको सिटी कांफ्रेस, 24-25 फरवरी 2006)

- थिंकिंग मेक्सिको सिटीज़ वे इन टू द टवेन्टी फर्स्ट सेंचुरी (21वीं सदी में मेक्सिको सिटी की राह) की तरह सोचना अर्बन एज कांफ्रेंस का लक्ष्य था, जिसका आयोजन लंदन स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स एंड पोलसांइंस (एल एस ई पी एस) एंड डच बैंक की एलफ्रेड सोसाइटी ने किया था।

मेक्सिको सिटी के कोने कोने से शहरी विद्वान शहर की वर्त्तमान समस्याओं और भावी संभावनाओं पर पुनर्विचार के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ बिरादरी बहुविधेयक समूह के साथ विचार विमर्श के लिये एकत्र हुए होंगे ।

- यह कांफ्रेंस लंदन स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स एंड पालिटीकल साइंस तथा डच बैंक के अलफ्रेड हैर हॉसन सोसाइटी के"अर्बन ऐज" के संयुक्त पहल प्रयास का एक हिस्सा थी जो तेजी से विकसित हो रहे विश्व शहरों के स्वरूप तथा विश्वभर में शहरवासियों के दैनिक जीवन पर विचार विमर्श के लिये बना है। न्यूयार्क, संघाई और लंदन के बाद यह चौथी प्रोजेक्ट कांफ्रेंस होगी और उसके बाद वर्ष 2006 के अंत में जोहांसबर्ग और बर्लिन में ये कांफ्रेंस आयोजित की जाएंगी।

- शहरी पर्यावास (अर्बन हैबीटाट)/खाड़ी क्षेत्र में पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिये शिक्षा, समर्थन, शोध और गठबंधन सृजन को परस्पर गुम्फित करके निम्न आय वर्गों तथा अश्वेत समुदायों के बीच सत्ता का सृजन करता है । अर्बन हैबीटाट चार मुख्य क्षेत्रों में कार्य करता है :-
  (क) नीति व प्रचार
  (ख) क्षमता सृजन और तकनीकी सहायता
  (ग) चर्चा स्वरूप में बदलाव
  (घ) क्षेत्रीय गठबंधन का सृजन

स्रोत : *urban Habitat.org*

राज्य शहरी परिदृश्य
विशिष्ट राज्य : उत्तरांचल (उत्तराखंड)

उत्तरांचल (उत्तराखंड) राज्य उत्तर-पश्चिम भारत में है और उसकी पश्चमी सीमाओं पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली राज्य तथा पूर्वोत्तर सीमा पर सिक्किम राज्य है। राज्य में 13 जनपद (जिले) हैं तथा 23% से अधिक आबादी शहरी इलाकों में रहती है, जहाँ साक्षरता दर 72% है। मूल निवासी गढ़वाली, कुमायूनी कहलाते हैं, जिनमें 90% से अधिक हिन्दू हैं।

उत्तरांचल (उत्तराखंड) : एक नजर में	
राज्य की राजधानी	देहरादून
जनपदसंख्या	13
आबादी 2001	7,050,634
शहरी आबादी	25.59%
क्षेत्रफल	51,125 वर्ग कि.मी.
नारी संख्या प्रति 1000 पुरूष	976
साक्षरता दर	72%
संभाग	02 (गढ़वाल, कुमायूँ)
नगर निगम	01 (देहरादून)
नगर पालिका परिषदें	31
नगर पंचायत	32
छावनी बोर्ड	09
जनगणना कस्बे	11

स्रोत : *http://ug.nic.in-2004*

उत्तरांचल (उत्तराखंड) राज्य ने वर्ष दर वर्ष प्रगामी नीतियाँ अपनायी हैं। भारत सरकार की सामयिक मदद से राज्य के कृषिजन्य कारोबार, पर्यटन, आधार ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में निवेश के पर्याप्त अवसर हैं। राज्य सरकार का शहरी विकास विभाग नागरिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ देता है। सेवाओं की कारगर व्यवस्था के लिये विभाग ने अपने विभिन्न प्रभागों का विकेन्द्रीकरण किया है, यथा - जल संस्थान (जल प्रदाय व अपजल निकासी हेतु), नगर निगम (सफाई व पथ प्रकाश, सड़कों, फुटपाथों, सम्पत्ति कर हेतु), मसूरी-देहरादून विकास प्रधिकारण (नागरिकों को मकान व संस्थाएँ बनाने तथा पार्कों, सड़कों, समुदाय केन्द्रों आदि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मंजूरी देने हेतु), उत्तरांचल विद्युत निगम लि. (बिजली हेतु) तथा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण और जिला शहरी विकास प्राधिकरण (शहरी स्लमवासियों के जीवन स्तर में बेहतरी हेतु)।

एशियाई विकास बैंक ने उत्तरांचल (उत्तराखंड) के शहरों के लिये करीब 150 मिलियन अमरीकी डार की सहायता दी है, जिसमें नगर विकास के सभी पहलुओं यथा, जल आपूर्ति, अपजल निकासी, नगरवर्ती सड़कों का विकास शामिल है। लागत खर्च भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 90:10 की हिस्सेदारी में होगा। स्वजल परियोजना की मार्फत पेयजल की विशेष योजनाएँ शुरू की गई हैं। परियोजनाओं के बनाने-अपनाने-चलाने में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है। यह अपनी तरह की पहली सफल परियोजना है।

उत्तरांचल (उत्तराखंड) राज्य में शहरी बुनियादी ढांचा विकास की कार्यनीति का एजेंडा इस प्रकार है :

- शहरी स्थानीय निकायों की बढ़ती जिम्मेदारी और उसके अनुरूप उनकी क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि करना,
- देहरादून का राज्य के गौरवशाली प्रवेश द्वार के रूप में तथा देश के 10 शीर्ष शहरों में से एक शहर के रूप में विकास करना,
- 10 मिलियन से कम आबादी के शहरों के मुख्य नेटवर्क को उन्नत करना,
- सभी कस्बों में सुरक्षित और सुनिश्चित पेय जल की व्यवस्था,
- भूमिगत अपजल निकासी सिस्टम और शोधन संयंत्रों का विकास,
- मुख्य शहरों में यातायात प्रबंध का सुग्राही संचालन
- प्रायवेट सेक्टर में भारत के प्रथम अन्तर-राज्यीय बस अड्डे की स्थापना

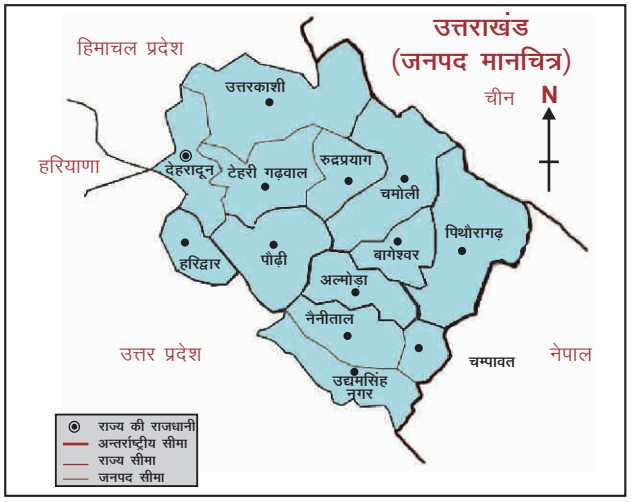

उत्तरांचल राज्य में विकास हेतु कुछ मास्टर प्लान है, यथा

चारधाम मार्ग पर आधार ढांचें में सुधार का मास्टर प्लान
जिम कार्वेट नेशनल पार्क के निकट कार्बेट कंट्री टूअरिज्म डेस्टीनेशन प्रोजेक्ट के लिये मास्टर प्लान
मसूरी के निकट सर जार्ज एवरेस्ट परिवेशीय पर्यटन स्थल के विकास के लिये मास्टर प्लान
दयारा बुग्यात (उत्तरकाशी) पर स्की-सैरगाह (रिसार्ट) के विकास का मास्टर प्लान
टेहरी बांध पर जलक्रीड़ा सैरगाहों के विकास हेतु मास्टर प्लान
प्रमुख चक्राकार मार्गों पर आधार ढांचां सुविधाओं के सुधार का मास्टर प्लान
हवाई पट्टियों (उत्तरकाशी, चमोली व देहरादून) के चारों ओर के क्षेत्रों के विकास का मास्टर प्लान
पौड़ी खिरसू लैंसडाउन और पिथौरागढ़ में दो नए टूरिस्ट सर्किट्स (पर्यटक विश्रामगृहों) के निर्माण का मास्टर प्लान
पूंजी निवेश के इच्छुक प्रायवेट सेक्टर से 100 प्रस्ताव

नए कस्बों, विवर्गीकृत कस्बों व संयुक्त कस्बों की संख्या - 2001, उत्तरांचल

नए कस्बे		विवर्गीकृत कस्बे		संयुक्त कस्बे
संख्या	% शहरी अनुपात	संख्या	% शहरी अनुपात	संख्या
9(8)	3.44	5	-	1

नोट : कोष्ठक में नए जनगणना शहर दिखाए गये हैं।

कुल शहरी आबादी, 2001, उत्तरांचल, विभिन्न आकार वर्ग के कस्बों में प्रतिशत आबादी

श्रेणी -I	श्रेणी -II	श्रेणी -III	श्रेणी -IV	श्रेणी -V	श्रेणी -VI
47.10	12.04	20.47	9.46	8.91	2.01

स्रोत : हैंड बुक ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया लेखक के.सी.शिवारामकृष्णन, अभिताभ कुण्डू, बी. एन सिंह पेज 14, 68

भारत में मेट्रो शहरों के केन्द्रीय और सीमांत क्षेत्रों में विकास का अंतर

मेगा शहरों में विकास की प्रवृतियाँ				
	1981-91		1991-2001	
	केन्द्रीय	सीमांत	केन्द्रीय	सीमांत
मेट्रो शहर	1.86	4.22	1.82	2.62
ग्रेटर मुम्बई	0.64	1.72	0.4	1.82
कोलकत्ता	3.59	3.8	3.09	4.18
दिल्ली	1.59	2.23	0.93	1.7
चैन्नै	0.71	3.36	4.79	3.2
बंगलौर	3.31	5.2	1.58	2.42
हैदराबाद				

स्रोत : 1.भारत की जनगणना 1981, 1991, पेपर 2, ग्रामीण शहरी वर्गीकरण भारत की जनगणना 2. हैंडबुक ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, लेखक के.सी.शिवारामकृष्णन व अन्य पेज 43

उपर्युक्त तालिका से जाहिर है कि छहों मेगा शहरों की विकास प्रवृत्तियाँ एक समान नहीं है । कोलकत्ता ने 1991-2001 की अवधि में तेज विकास दर दिखायी जो शहर के केन्द्रीय क्षेत्र की बजाए सीमांत क्षेत्र में अधिक थी। इस प्रवृत्ति का ही अनुसरण चेन्नै, ग्रेटर मुम्बई, दिल्ली और हैदराबाद शहरों में किया गया। जबकि इसी अवधि में बंगलौर शहर ने केन्द्रीय क्षेत्र की तुलना में सीमांत क्षेत्र में कम प्रगति दरसायी।

भारत में मेट्रो शहरों के केन्द्रीय और सीमांत क्षेत्र के संवद्धि अन्तराल

	मेट्रो शहर	1981-91		1991-2001	
		केन्द्रीय क्षेत्र	सीमांत क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	सीमांत क्षेत्र
A	घटते केन्द्रीय क्षेत्र बढ़ते सीमांत क्षेत्र				
	अहमदाबाद	2.11	2.58	2.00	3.11
	आसनसोल	3.64	2.23	0.96	3.56
	कोयम्बतूर	1.48	1.79	1.23	2.73
	दिल्ली	3.59	3.80	3.09	4.18
B	बढ़ते केन्दीय क्षेत्र, घटते सीमांत क्षेत्र				
	बंगलोर	0.71	3.36	4.79	3.20
C	बढ़ते केन्दीय क्षेत्र व बढ़ते सीमांत क्षेत्र				
	आगरा	2.51	2.38	3.46	3.32
	अमृतसर	1.76	1.76	3.19	3.56
	धनबाद	2.33	1.73	2.71	2.67
	इंदौर	2.75	2.90	3.80	3.91
	जबलपुर	1.89	1.60	2.48	2.29
	जमशेदपुर	0.50	1.98	2.13	2.84
	कानपुर	2.30	2.53	3.01	2.81
	पटना	1.66	1.80	4.06	4.40
	पुणे	2.64	3.88	4.83	4.09
	राजकोट	2.29	3.86	5.47	4.26
	सूरत	4.84	4.97	4.85	6.16
D	घटते कन्द्रीय, घटते सीमांत क्षेत्र				
	इलाहाबाद	2.52	2.62	2.22	2.18
	भोपाल	4.60	4.60	2.99	3.14
	चेन्नै	1.59	2.23	0.93	1.70
	ग्रेटर मुम्बई	1.86	4.22	1.82	2.62
	हैदराबाद	3.31	5.20	1.58	2.42
	कोचि	1.27	3.24	0.24	1.73
	कोलकत्ता	0.64	1.72	0.40	1.82
	लखनऊ	5.35	4.88	3.12	3.06
	मदुरै	1.36	1.80	0.19	0.95
	मेरठ	5.19	4.48	3.54	3.18
	नागपुर	2.87	2.44	2.33	2.44
	नाशिक	5.91	4.93	4.94	4.62
	वडोदरा	3.39	3.65	2.36	2.81
	वाराणसी	2.60	2.57	1.70	1.62
	विजयवाड़ा	2.85	3.21	1.62	1.86
	विशाखापतनम्	2.85	5.60	2.55	2.30

स्रोत*s:* भारत की जनगणना 1981 व 1991ए पूपर-2ए ग्रामीण शहरी वर्गीकरण, भारत की जनगणना - 2001 - हैंड बुक ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, लेखक के.सी.शिवरामाकृष्णन, अभिताभ कुंडु, बी एन सिंह, पेज 42

उपर्युक्त तालिका से भारत के 32 मेट्रो शहरों के केन्द्रीय और सीमांत क्षेत्रों में विकास विसमानताओं का पता चलता है। दिल्ली सहित केवल चार मेट्रो शहर ऐसे हैं जहाँ केन्द्रीय क्षेत्रों में कमतर विकास और सीमांत क्षेत्र में अधिक विकास वृद्धि दर देखी जा सकती है। बंगलोर ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ केन्द्रीय क्षेत्र में अधिक विकास वृद्धि और सीमांत क्षेत्रों में कमतर विकास के दर्शन होते हैं। ग्यारह शहर ऐसे हैं, जहाँ केन्द्रीय और सीमांत दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ता हुआ विकास है। लेकिन केन्द्रीय और सीमांत दोनो ही क्षेत्रों में कमतर होता हुआ विकास 16 शहरों में पाया गया है जिनमें चेन्नै, ग्रेटर मुम्बई और कोलकाता भी शामिल हैं।

पठनीय प्रकाशन

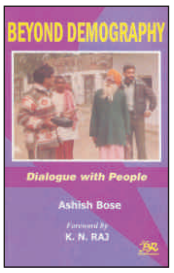

बियोंड डेमोग्राफी
डायलॉग विद पीपुल
लेखक श्री आशीश बोस
बी.आर. पब्लिकेशन कारपोरेशन
दिल्ली-110052, 2006 ;
मूल्य 795/- रू., पीपी.X + 344

इस प्रकाशन में लेखक के विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न विषयों पर प्रकाशित लेख पुस्तकाकार छापे गए हैं। इसमें लेखक द्वारा भारत भर में किए गए फील्ड वर्क के आधार पर रीयल्टी चेक के साथ जनगणना आंकड़ों के विश्लेषण को जोड़ा गया है। इसमें उन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और गोष्ठियों की भी झांकी है, जिनमें लेखक ने भाग लिया था। इसकी भूमिका विख्यात अर्थशास्त्री और इकनॉमिक एंड पालिटकल वीकली के जाने-माने सम्पादक प्रो. के.एन.राज ने लिखी है।

पुस्तक चार खंडों में है। पहले खंड में असुरक्षित लोगों और स्थानों के बारे में, दूसरे खंड में 2001 की जनगणना के बारे में, तीसरे खंड में शोध आंकड़ों के बारे में तथा अंतिम (चौथे) खंड में अन्तर्राष्ट्रीय शब्द चित्रों के बारे में बताया गया है। पुस्तक में कुल 32 अध्याय हैं।

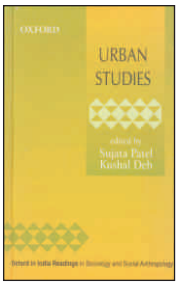

अर्बन स्टडीज़
सम्पादनकर्त्ता-सुजाता पटेल व कुशल देब
आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रैस, ऑक्सफोर्ड इन इंडिया
रीडिंग इन सोशलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, नई दिल्ली 110001,
2006, मूल्य 595/- रू., पीपी.X + 486

यह पुस्तक संस्करण सुधी पाठकों को आधुनिक और समकालीन भारत में शहरीकरण की जटिल प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। यह शहरी घटनाक्रम के दो पृथक अंतरालों अर्थात् उपनिवेश और स्वतंत्रता बाद के काल खंडों में विश्लेषण की जरूरत रेखांकित करता है। उपनिवेशवाद समकालीन शहरीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण बेंचमार्क प्रतीत होता है। उसमें एक नई राजनैतिक अर्थव्यवस्था का उद्घाटन किया गया है तथा भारत को परस्पर संबंधों के आधार पर विश्वव्यापी साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ जोड़ा गया है। जबकि आजादी बाद के कालखंड में लेखकों ने बाजार मांगों तथा शहरीकरण की वृद्धि कारक राज्य औद्योगीकरण नीति के स्वरूप की व्याख्या की है।

लेखकों ने इस अंक में शहरी जीवन की विविधता के पहलुओं का शहरवासियों के शैक्षिक परिपेक्ष्यों और अनुशासनिक प्रश्नों के दृष्टिकोण से भी उल्लेख किया है। इस पुस्तक में शामिल हैं - शहर का जीवन तथा उसका औद्योगीकरण से संबंध, शहरी असमानता, वर्ग-भेद तथा उसके सजातीय एवं स्त्री-पुरूष जन्य आयाम, रहन-सहन और खान-पान के तरीके, फुर्सत के रूप और सिनेमा का प्रभाव। अनौपचारिक सेक्टर, नगर नियोजन, स्लम, स्वास्थ्य और सफाई के मुद्दे भी शामिल हैं।

पुस्तक चार खंडों में है, जिसमे समकालीन शहरीकरण प्रक्रिया, भारतीय महानगरीय सम्यता, राज्य, राजनीति व सामूहिक कार्रवाई तथा अंत में शहरी सम्यता का समावेश है।

निबंध आमंत्रण

भारत में शहरी स्थानीय निकायों ने शहरी शासन में सुधार के लिए सुधार प्रक्रियाएं शुरू की हैं। जहाँ अनेक शहरी स्थानीय निकाय परिवर्त्तन प्रयासों में जुटे हुए हैं, वहीं कुछ निकायों के प्रयास अत्यंत प्रगामी और प्रभावी हैं, लेकिन ये प्रयास एकांतिक रूप से तथा एक-दूसरे के अनुभवों के आदान-प्रदान के लाभ के बिना किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान का अनुरोध है कि आप अपने राज्य या शहरी स्थानीय निकाय में शहरी सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों को लिखकर अर्बन फायनेंस न्यूजलेटर में प्रकाशन के लिए भेज दें । इसका प्रयोजन आपकी उपलब्धियों को मान्यता देकर उनके बारे में देश भर के शहरी स्थानीय निकायों को जागरूक करने का है। यह लेख (निबंध) 800 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। लेख कृपया वेबसाइट www.niua.org पर इन संस्थान को भेजें।

अंशदान

अर्बन फयनेंस (शहरी वित्त) की प्रति पाने के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर आवेदन पत्र भेजें :

संपादक, शहरी वित्त
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
कोर 4-बी, I व II मंजिल, इंडिया हैबिटाट सेन्टर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
फोनः91-11-24617543, 24643284, 24617517
फैक्सः 91-11-24617513
ई-मेल : niua@niua.org
वेबसाइट : www.niua.org

संपादक दल
सतमोहिनी ईशा श्रीवास्तव रे
देबजानी घोष, अजय निगम, नवीन माथुर
हिन्दी रूपांतर
जयवीर सिंह चौहान
डिज़ाइन एवं पाठ
सतमोहिनी ईशा श्रीवास्तव रे
टाइपिंग
मीरा भागचंदानी, दुर्गा गोपालानी
सचिवालय सहायक
सी.बी.पाण्डेय
प्रकाशक
राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
नई दिल्ली-110003